2012/00008

न्यायालय जिला कलक्टर,बाड़मेर कैम्प कोर्ट सिवाना

पीठासीन अधिकारी–श्री सुधीर कुमार शर्मा आई.ए.एस.

निगरानी संख्या 01/2012

प्रार्थी
सोहनसिंह पुत्र भीमसिंह जाति राजपूत निवासी खण्डप तहसील सिवाना

बनाम्

अप्रार्थीगण
1.ग्राम पंचायत खण्डप जरिये सरपंच ग्राम पंचायत खण्डप
2.मानसिंह पुत्र परबतसिंह जाति राजपूत निवासी खण्डप तहसील सिवाना

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम वास्ते करने करने पट्टा संख्या 11/99 दिनांक 30.12.1999 जो सरपंच ग्राम पंचायत खण्डप द्वारा अप्रार्थी संख्या 02 के नाम से जारी किया गया।

उपस्थितः– 1.प्रार्थी अनुपस्थित,अधिवक्ता उपस्थित।
2.अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से ग्राम सेवक सिवाना उपस्थित।
3.अप्रार्थी संख्या 02 उपस्थित,अधिवक्ता अनुपस्थित।

निर्णय दिनांक 14.06.2016

1- संक्षेप में प्रार्थी की निगरानी के तथ्य इस प्रकार है कि अप्रार्थी संख्या 02 ने सरपंच ग्राम पंचायत खण्डप के समक्ष एक प्रार्थना पत्र पेश इस आशय का पेश किया कि ग्राम पंचायत खण्डप की आबादी भूमि में उसका कब्जा सुदा भूखण्ड आया हुआ है जिसका विक्रय विलेख प्राप्त करना चाहता हूँ। इसलिये भूखण्ड का विक्रय विलेख प्रदान कराया जावे। इस पर ग्राम पंचायत ने पत्रावली कायम कर भूखण्ड पर अप्रार्थी संख्या 02 को नियम 157(1)(ख) के तहत भूखण्ड का पट्टा संख्या 11 दिनांक 30.12.1999 को जारी किया गया । प्रार्थी का यह कथन है कि अप्रार्थी संख्या 02 को जारी पट्टा की भूमि उसके स्वामित्व एंव आधिपत्य की भूमि है जिस पर पट्टा जारी करने से पूर्व ग्राम पंचायत द्वारा विधिवत जॉच एंव निर्धारित प्रकिया नहीं अपनाते हुए प्रार्थी की भूमि पर नियम विरूद्ध तरीके से पट्टा जारी किया गया है। प्रार्थी ने इस विक्रय विलेख पट्टा को गलत एंव नियम विरूद्ध जारी होना बताते हुए अप्रार्थी संख्या 02 के पक्ष में जारी इस पट्टा को खारिज करने हेतु यह निगरानी धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के तहत हमारे समक्ष पेश की

2- हमने निगरानी दर्ज रजिस्टर कर,अप्रार्थीगण को कारण बताओ नोटिस जारी किये एंव ग्राम पंचायत खण्डप से पट्टा से सम्बन्धित रिकॉर्ड प्राप्त किया।

जिला कलक्टर
बाड़मेर

3- अप्रार्थी संख्या 02 के अधिवक्ता श्री नृसिंह सोलंकी ने दिनांक 17.07.2012 को जवाब पेश कर निगरानी के पद संख्या 01,05 06 गलत होने से अस्वीकार करते हुए प्रार्थी का आवेदन खारिज करने का निवेदन किया।

4- पत्रावली पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार राजस्व कैम्प कोर्ट सिवाना में प्रस्तुत हुई जिसके लिये उभयपक्ष के अभिभाषकगण व पक्षकारों को नोटिस की तामील करा दी गई थी। प्रार्थी अनुपस्थित रहा। प्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित रहे। अप्रार्थी संख्या 01 व 02 उपस्थित रहे। अधिवक्ता अनुपस्थित रहे।

5- हमने उभय पक्ष को सुना। ग्राम पंचायत रमणीया से प्राप्त पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। प्रार्थी का यह कथन कि अप्रार्थी के हक मे जारी पट्टा जारी करने से पूर्व ग्राम पंचायत ने नियमो में निर्धारित प्रकिया को नहीं अपनाते हुए एंव प्रार्थी की भूमि पर पट्टा जारी किया हैं। इस सम्बन्ध में ग्राम पंचायत खण्डप की पत्रावली का अवलोकन करने से यह पाया जाता है कि अप्रार्थी मानसिंह ने भूखण्ड का पट्टा बनाने हेतु ग्राम पंचायत खण्डप के समक्ष आवेदन पत्र पेश किया है। इस आवेदन पत्र के साथ नक्शा भी पेश किया गया हैं। सरपंच ने इस आवेदन को पंचायत की बैठक में रखने के आदेश दिये हैं। जिस पर पत्रावली कायम की गई है। मौका कमेटी से मौका रिपोर्ट मंगवाने के आदेश हुए है। तत्पश्चात् नियम 148 के तहत दिनांक 05.02.2009 को निर्धारित प्रारूप में एक माह का नोटिस जारी कर चस्पा कराया हैं नोटिस के साया होने से आपतियां आमंत्रित की गई हैं। मगर किसी भी व्यक्ति ने इस सम्बन्ध में कोई आपति पेश नहीं की है। नियम 157 के अनुसार पुराने गृहो का विनियमितिकरण करने का प्रावधान है। नियम 157(ख)के अनुसार इन नियमो के लागू होने की तिथि को 50 वर्षो के दौरान बने पुराने मकानो हेतु 200/–लेकर नियमित कर पट्टा जारी करने का प्रावधान है। इन नियमो के परिपेक्ष्य में अप्रार्थी द्वारा पट्टा प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व नक्शा में दर्शाये गये पड़ोस व नाप के अनुरूप ग्राम पंचायत ने पट्टा जारी किया है। इस प्रकार प्रस्तुत रिकॉर्ड से हम इस निष्कर्ष पर पहुॅचते है कि ग्राम पंचायत खण्डप ने निर्धारित प्रकिया अपनाकर,नियमों में अंकित प्रावधानो को ध्यान में रखते हुए अप्रार्थी संख्या 02 के हक में नियम 157(1)(ख) के तहत पट्टा विलेख संख्या 11 दिनांक 30.12.1999 जारी किया है। प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क कि प्रार्थी की भूमि पर पट्टा जारी किया गया है। इस तर्क के सम्बन्ध में,उसका प्रमाण भार प्रार्थी पर था। प्रार्थी को यह साबित करना था कि ग्राम पंचायत द्वारा जारी विक्रय विलेख की भूमि उसके स्वामित्व, आधिपत्य एंव विश्वसनीय है, मगर प्रार्थी ने विवादित भूमि के सम्बन्ध में न्यायालय के समक्ष ऐसा कोई

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर
बाड़मेर

दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। जिससे इस बात की ताईद हो कि वादग्रस्त भूखण्ड प्रार्थी का हो। ऐसी स्थिति में इस पट्टा विलेख को खारिज करने हेतु कोई ठोस आधार नहीं है। प्रार्थी पक्ष निगरानी को साबित करने में असमर्थ रहा हैं।

6- उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप प्रार्थी की निगरानी बलहीन एंव सारहीन होने से खारिज की जाती हैं।

(सुधीर कुमार शर्मा)
जिला कलक्टर,बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

निर्णय खुले न्यायालय कैम्प सिवाना में आज दिनांक 14.06.2016 को सुनाया गया।

जिला कलक्टर,बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर